रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 1994/भाद्र 23, 1916
No. 465] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 1994/BHADRA 23, 1916

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1994

का.आ. 676(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1987 के पैरा-3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को ऐसी अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में विनिर्मित प्रपुंज औषधि का विक्रय किया जायेगा :—

सारणी

क्रम सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4
"1.	आयरन डैक्स्ट्रान	लिटर	320.00"

[सं. 25(11)/93–पी. आई.–I]

के. मुरलीधरन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 14th September, 1994

S.O. 676(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby fixes the price specified in column (4) of the Table below as the maximum price at which the indigenously manufactured bulk drug specified in the corresponding entry in column (2) thereof shall be sold.

TABLE

S.No.	Name of the Bulk Drug	Unit	Maximum Price(Rs).
1	2	3	4
"1.	Iron Dextran	Litre	320.00"

[No. 25(11)/93—PI.-I]

K. MURALIDHARAN, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1994

का.आ. 677(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण), आदेश, 1987 के पैरा 3 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का.आ. 804(अ) दिनांक 15 अक्तूबर, 1993 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	प्रपंज औषधि का नाम	इकाई	अधिकतम कीमत (रुपये)
"9.	मेवहाइड्रोलिन नेपेडिसाइलेट	कि.ग्राम	1365.00"

[सं. 25(47)/90—पीआई—I]
के. मुरलीधरन, डैस्क अधिकारी

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(2) तारीख 30 अगस्त, 1991 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) की सरकारी अधिसूचना स. का.आ. 564(अ) तारीख 30 अगस्त, 1991 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा इसे संशोधित किया गया था :—

(1) सरकारी अधिसूचना का.आ. 156(अ) तारीख 9 मार्च, 1993 और
(2) सरकारी अधिसूचना का.आ. 804(अ) तारीख 15 अक्तूबर, 1993

ORDER

New Delhi, the 14th September, 1994

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers

(Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 804(E) dated the 15th October, 1993, namely :—

In the Table below the said Order, for serial number 9 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of the Bulk Drug	Unit	Maximum Price (Rs.)
1	2	3	4
"9.	Mebhydroline Napadisylate	Kg.	13 65.00"

[No. 25(47)/90-PI. I]

K. MURALIDHARAN, Desk Offieer

Note:—The Principal Order, was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3(ii) dated the 30th August, 1991 vide Government Notification in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 564(E) dated the 30th August, 1991 and was subsequently amended by:

(i) Govt. Notification No. S.O. 156(E) dated the 9th March, 1993 and

(ii) Govt. Notification No. S.O. 804(E) dated the 15th October 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1994